

**अनुमन्डल न्यायालय-असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि) बनमनखी, पूर्णियाँ, बिहार**

समक्ष- सतीश मणि त्रिपाठी (बिहार न्यायिक सेवा)

स्वत्व वाद सं.- 170 / 13 सी.आई.एस.क्र.- 170 / 13

रामचन्द्र महतो व अन्य बनाम बिन्देश्वरी महतो व अन्य

Order date	Order with signature of the Court	Office action taken
16/04/25	<p>वादी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता की हाजिरी है। प्रतिवादीगण की कोई हाजिरी नहीं है। यह वाद वादी की ओर से प्रस्तुत दिनांक 14.08.24 के आवेदन पर आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है। उक्त आवेदन को संचालित कर वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा समर्पित किया गया है कि वादी की ओर से विभिन्न केवाला से प्राप्त भूमि का विवरण वाद-पत्र में जोड़े जाने हेतु आवेदन दिया गया है। अतः निवेदन है कि उक्त आवेदन को स्वीकृत करने की कृपा की जाए।</p> <p>प्रतिवादी संख्या 7 की ओर से प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर आपत्ति व्यक्त किया गया है कि इस वाद में प्रतिवादी संख्या 7 की ओर से वाद-पत्र में वर्णित अभिवचन के आधार पर लिखित कथन प्रस्तुत किया जा चुका है। वादी के द्वारा चाहे गए संशोधन से वाद की प्रकृति परिवर्तित हो जाएगी। अतः वादी का उक्त आवेदन खारिज किये जाने योग्य है।</p> <p>उभय पक्ष को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि दिनांक 14.08.24 को वादी की ओर से यह संशोधन आवेदन प्रस्तुत किया गया है परंतु वादी के द्वारा विशिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है कि वादी के द्वारा वाद-पत्र के किस कंडिका में संशोधन चाहा गया है। अतः वादी का आवेदन स्पष्ट न होने के कारण आवेदन के गुण दोष पर मंतव्य दिये बिना वादी के इस आवेदन को खारिज किया जाता है।</p> <p>वाद आगामी दिनांक 16.05.25 सुलहवार्ता हेतु नियत।</p> <p style="text-align: center;">हस्ताक्षर</p> <p style="text-align: center;">अ.सै.न्यायाधीश वरीय कोटि बनमनखी, पूर्णियाँ</p>	